पत्रांक : 29/B.S.G./Supp–01/2019–20/ 84 /बजट

झारखण्ड सरकार
योजना–सह–वित्त विभाग
(वित्त प्रभाग)

प्रेषक,

के० के० खण्डेलवाल,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक : 17/02/2020

विषय : तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी 2019–20 हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य प्रभाग) झारखण्ड, राँची के ज्ञापांक संख्या–194, दिनांक 14.02.2020 द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार झारखण्ड विधान सभा का बजट सत्र दिनांक 28.02.2020 से आहूत किया गया है। झारखण्ड विधान सभा के इस सत्र में दिनांक 28.02.2020 को तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी प्रस्तुत किया जाना है। तृतीय अनुपूरक बजट हेतु केवल निम्न प्रकार के प्रस्ताव योजना सह वित्त विभाग को उपलब्ध कराये जा सकते हैं :–

(i) भारत सरकार द्वारा केन्द्र प्रायोजित स्कीम/केन्द्रीय सेक्टर स्कीम की हिस्सेदारी में परिवर्तन के फलस्वरूप अगर बजट में संशोधन अपेक्षित है।

(ii) विगत वर्ष/चालू वित्तीय वर्ष में केन्द्र प्रायोजित स्कीम या केन्द्रीय सेक्टर स्कीम में भारत सरकार से राशि प्राप्त हो गई है और उसका उपबन्ध नहीं किया गया है।

(iii) वित्तीय वर्ष 2019–20 में मुख्य बजट में यदि त्रुटिपूर्ण बजट में सुधार की आवश्यकता हो तो इस तरह के प्रस्ताव को प्रत्यर्पण के साथ प्राप्त किये जाएंगे।

(iv) ऐसे प्रस्ताव जिनके लिए प्रावधान किया जाना अत्यन्त आवश्यक हो, जो किसी आकस्मिक स्थिति के फलस्वरूप जनित हो गये हों।

साथ ही, वित्तीय वर्ष 2019–20 के बजट में आपके विभाग के लिए उपबंधित राशि की समीक्षा कर इस वित्तीय वर्ष में व्यय नहीं हो पाने वाली राशि का प्रत्यर्पण प्रस्ताव भी दिये जायें।

अनुपूरक हेतु वांछित प्रस्ताव दिनांक 19.02.2020 के अपराह्न 5.00 बजे तक योजना सह वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) के **website https:\\10.92.194.10\budgetjhr** या **https://jkuber.gov.in/budgetjhr → budget → supplementary Third** पर **online** उपलब्ध कराया जा सकता है।

विश्वासभाजन,

(के० के० खण्डेलवाल)
अपर मुख्य सचिव,
योजना सह वित्त विभाग।

ज्ञापांक : 29 / B.S.G. / Supp–01 / 2019–20 84 / बजट, राँची, दिनांक : 17/02/2020

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड, राँची / महानिबंधक, उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची / सचिव, विधान सभा सचिवालय, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(के० के० खण्डेलवाल)
अपर मुख्य सचिव,
योजना सह वित्त विभाग।

ज्ञापांक : 29 / B.S.G. / Supp–01 / 2019–20 84 / बजट, राँची, दिनांक : 17/02/2020

प्रतिलिपि : मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव / मुख्य सचिव के उप सचिव / विकास आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव / सदस्य, राजस्व पर्षद के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(के० के० खण्डेलवाल)
अपर मुख्य सचिव,
योजना सह वित्त विभाग।

ज्ञापांक : 29 / B.S.G. / Supp–01 / 2019–20 84 / बजट, राँची, दिनांक : 17/02/2020

प्रतिलिपि : नोडल पदाधिकारी, पी०एम०यू० कोषांग, योजना सह वित्त विभाग / श्री ओमेश प्रसाद सिन्हा, वरीय तकनीकी निदेशक, पी०एम०यू० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि तदनुसार Online Budget (C.O.B.T) की वेबसाइट को अद्यतन कर लिया जाय।

(के० के० खण्डेलवाल)
अपर मुख्य सचिव,
योजना सह वित्त विभाग।